XIV मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक मामले

14.1 रिज़र्व बैंक जिस वातावरण में कार्य कर रहा है उसमें व्यापक परिवर्तन हुए हैं और उसकी नीतियों एवं कार्यों की बढ़ती हुई सार्वजनिक संवीक्षा ने मानव संसाधनों की गुणवत्ता के महत्त्व को बढ़ा दिया है। वैश्वीकरण की तेज हवा एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नाटकीय प्रोन्नति के साथ गति बनाए रखने के लिए दक्षता तथा तकनीकी सुविज्ञता में निरंतर उन्नयन और कर्मचारियों में उच्च कोटि की व्यावसायिकता पर निर्भर रहना पड़ा है ताकि कर्मचारियों और संस्था के लक्ष्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

14.2 हाल ही के वर्षों में इस बात की मान्यता निरंतर बढ़ती जा रही है कि पूँजी और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर निर्भर हैं, किंतु मानव पूँजी ऐसी नहीं है, जिसे गतिशील प्रतिस्पर्धी बेहतर स्थिति की प्राप्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। बदलते आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में यह बात महसूस की जा रही है कि एक कठोर और पद क्रमबद्ध संरचना जिसमें कार्यनिष्पादन से अधिक वरिष्ठता को वरीयता दी जाती है, वह उत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने अथवा व्यावसायिकों से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ परिवेश नहीं है। तदनुसार इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि भर्ती, नियोजन, कैरियर के विकास कार्यनिष्पादन के प्रबंधन की समीक्षा करने की अत्यधिक आवश्यकता है। ये प्रयास रिज़र्व बैंक के उस मिशन को पूरा करने की पूर्व शर्त हैं जिनमें संस्थागत एक ऐसे स्वप्न और संस्कृति को संजोया गया है और उसे सबल बनाया गया है जो प्रौद्योगिकी में होने वाले बुनियादी परिवर्तनों तथा व्यावसायिक कार्यनिष्पादन और ग्राहक सेवा की वास्तविक आवश्यकताओं के संदर्भ में ज्ञान अर्जन, सृजनात्मकता एवं अनुकूलनीयता को प्रोत्साहित करता है। विद्यमान संरचना की सीमाओं के भीतर, रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण, दक्षता में वृद्धि, कर्मचारियों के नियोजन तथा भर्ती नीति में नीतिगत परिवर्तन, हिंदी का संवर्धन, ग्राहक सेवाओं एवं औद्योगिक संबंधों में सुधार के माध्यम से वर्ष 2001-02 के दौरान अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ा है। एक सुसंगत सम्प्रेषण नीति के ढाँचे के अंदर सूचना और प्रतिसूचना की निरंतर प्रक्रिया के जरिए जनता में जागरूकता लाने के लिए अपने प्रयास सघन किये हैं। अपने परिवेश के संदर्भ में तथा वित्तीय प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी और संस्थागत बुनियादी संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधार लागू किये हैं।

प्रशिक्षण तथा दक्षता संवर्धन

14.3 बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुंबई, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै तथा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे-ये रिज़र्व बैंक के तीन प्रशिक्षण महाविद्यालय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग उद्योग के अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुंबई

14.4 बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय में 2001-02 के दौरान 115 कार्यक्रम चलाये गये जिनमें 2,532 सहभागियों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 2000-01 में 113 कार्यक्रमों में 2,436 सहभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

14.5 रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय में 2001-02 के दौरान 125 कार्यक्रम चलाये गये जिनमें 2,795 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 2000-01 में 140 कार्यक्रमों में 2,949 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै ने केंद्रीय निदेशक बोर्ड की निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा उप समिति की रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के अनुसरण में अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानपुर तथा नागपुर कार्यालयों में जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

14.6 कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में 2001-02 के दौरान 179 कार्यक्रम चलाये गये जिनमें 3,777 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 2000-01 के दौरान 153 कार्यक्रमों में 3,179 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

14.7 चार महानगरीय केंद्रों में स्थित आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र पूर्णतः रिज़र्व बैंक के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 2001-02 के दौरान आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों ने श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए 131 कार्यक्रम और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 26 कार्यक्रम चलाये। वर्ष के दौरान 2576 तृतीय श्रेणी और 470 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, जबकि 2000-01 के दौरान 2013 तृतीय श्रेणी और 313 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्रशिक्षित हुए। आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नै ने तमिलनाडु के पुलिस अधिकारियों तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारियों के लिए "बैंकिंग क्षेत्र में बैंक धोखाधड़ी" पर तीन अल्पावधि कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों ने प्रशिक्षण केंद्र से बाहर कानपुर, नागपुर,

हैदराबाद, बेंगलूर तथा पटना कार्यालयों में कार्यक्रमों की पहूँच बढ़ाने के लिए तथा कर्मचारियों की विशिष्ट प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए जाकर कार्यक्रम चलाये ।

14.8 तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की समीक्षा करने हेतु चार सदस्योंवाला एक आंतरिक कार्यकारी दल गठित किया गया । क्षेत्रीय निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधक-प्रभारियों को श्रेणी III तथा श्रेणी IV के अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और आवश्यकता आधारित आंतरिक/कार्यस्थल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए अधिकार प्रदान किये गये ।

वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यपालक-दक्षता संबंधी प्रशिक्षण

14.9 रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यपालक दक्षता को बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि वे संगठनात्मक मामलों, नेतृत्व की प्रभावोत्पादकता एवं अन्य संबंधित चुनौतियों में पूरी गहन जानकारी का आदान प्रदान कर सकें । तदनुसार आइआइएम, अहमदाबाद तथा आइआइएम, लखनऊ में ग्रेड 'ई' तथा 'एफ' अधिकारियों के लिए सशक्तीकरण तथा नेतृत्व पर दो कार्यक्रम चलाये गये । ये कार्यक्रम समष्टिगत अर्थशास्त्र, प्रबंधन तकनीक, मानव संसाधन प्रबंध, नेतृत्व की शैलियों, अभिप्रेरणा, तनाव-प्रबंध, समय-प्रबंध तथा संचालन में मूल्य आधारित प्रणाली पर केंद्रित थे ।

भारत तथा विदेश में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

14.10 वर्ष 2001-02 के दौरान भारत में विभिन्न बाह्य प्रबंध/ बैंकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए रिज़र्व बैंक ने 355 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । इसके अलावा, 39 अधिकारियों को उन्नत वाणिज्यिक बैंक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत चुनिंदा वाणिज्यिक बैंकों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । कानपुर एवं लखनऊ कार्यालयों में नकदी विभागों के स्टाफ के लिए, ग्राहक पर ध्यान तथा सेवाओं की आवश्यकता को अच्छी तरह से समझने के विचार से मनोवृत्ति में सुधार तथा ग्राहक सेवा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया ।

14.11 वर्ष 2001-02 के दौरान रिज़र्व बैंक ने विदेशों में 23 देशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए 131 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विदेशों में उच्च अध्ययन करने के लिए वर्ष 2001-02 में 4 अधिकारियों का चयन किया गया । अब तक इस योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्त किये गये कुल अधिकारियों की संख्या 63 हो गयी है । रिज़र्व बैंक ने उत्कृष्ट गुणवत्तावाले अधिकारियों को भी प्रबंधन विकास/कार्यपालक विकास/ सामान्य प्रबंधन के क्षेत्र में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया । ऐसे अध्ययन के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान 6 अधिकारियों का चयन किया गया । वरिष्ठ अधिकारियों की अध्ययन अवकाश योजना के अंतर्गत 3 अधिकारियों को ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गई ।

14.12 एक अधिकारी को आइआइटी में प्रायोजित किया गया, जबकि एक अन्य अधिकारी को पीएचडी अध्ययन के लिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आइजीआइडीआर) में प्रायोजित किया गया । इसके अलावा दो अधिकारियों को हारवर्ड एशिया फैलोशिप योजना के अंतर्गत विदेश में प्रतिनियुक्त किया गया । एक अधिकारी को अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) द्वारा प्रस्तुत विजिटिंग फैलोशिप योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) में प्रतिनियुक्त किया गया ।

कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण

14.13 रिज़र्व बैंक ने कम्प्यूटर के क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन देना जारी रखा । बैंक द्वारा नवम्बर 1995 में अधिकारियों और श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी मूलभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजना को और उदार बनाया गया । क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय विभागों को अपने अधिकारियों और श्रेणी III के कर्मचारियों को प्रतिष्ठित कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त करने के अधिकार दिये गये । जून 2002 के अंत तक 2,970 श्रेणी III के कर्मचारी और 1,314 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है । इसके अलावा अधिकारियों को कम्प्यूटर से संबंधित ऐसे क्षेत्रों में जो कि उनके कार्यनिष्पादन से जुड़े हुए हैं और अधिक दक्षता और निपुणता प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में 146 अधिकारियों को जून 2002 के अंत तक इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया । वर्ष 2001-02 के दौरान 109 अधिकारियों को विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, प्रबंधन विकास संस्थान, जेवियर्स श्रमिक अनुसंधान संस्थान तथा इन्स्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

14.14 रिज़र्व बैंक ने "प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं/ योजनाओं" पर गठित कार्यकारी समूह द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृत किया है । छोटे कार्यालयों में वर्ष 2002 के अंत तक और बड़े कार्यालयों में 2003 के अंत तक सौ प्रतिशत कम्प्यूटर साक्षरता प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनायी गयी है । बैंक में ई-लर्निंग की शुरुआत करने से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

अन्य देशों से आये पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

14.15 वर्ष 2001-02 के दौरान 11 देशों अर्थात बांग्लादेश, घाना, ईरान, केन्या, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैण्ड यूगांडा और जाम्बिया से आये 151 पदाधिकारियों को बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालयों/ केन्द्रीय कार्यालय विभागों में प्रशिक्षित किया गया / अध्ययन संबंधी सुविधाएं प्रदान की गयी ।

मानव संसाधन पहल

चर्चा समूह

14.16 क्षेत्रीय निवेशकों के सम्मेलन 2000 में लिये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप संगठनात्मक विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने तथा उपयुक्त मानव संसाधन मध्यस्थता सम्बंधी कार्यनीतियां बनाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित चर्चा समूहों का गठन किया गया - (i) पदोन्नति नीति पर चर्चा समूह, (ii) अभिप्रेरणा और प्रत्यायोजन पर चर्चा समूह (iii) कार्य प्रक्रिया की पुनर्संरचना पर चर्चा समूह, (iv) कैरियर आयोजना पर चर्चा समूह । इन समूहों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जाँच की जा रही है ।

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा

14.17 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की एक सलाहकार की सहायता से व्यापक समीक्षा की जा रही है । विभिन्न कार्यालयों के सभी श्रेणियों के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के पश्चात एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है जिसकी जाँच की जा रही है ।

मंत्रणा केंद्र

14.18 रिज़र्व बैंक ने प्रायोगिक आधार पर सितम्बर 2001 से बैंक के कर्मचारियों तथा उनके परिवार सदस्यों के लिए एक मंत्रणा केंद्र की शुरुआत की है । इस प्रयोजन हेतु एक अंशकालिक व्यावसायिक सलाहकार को अनुबंधित किया गया है ।

अनौपचारिक केंद्रीकृत समूह - मानव संसाधन विकास (एचआरडी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नेटवर्क

14.19 मुंबई में प्रधान कार्यालयवाले अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास विभाग के प्रमुखों का एक अनौपचारिक केंद्रीकृत समूह गठित किया गया है जिसका संयोजक रिज़र्व बैंक है । भारतीय बैंक संघ (आइबीए) भी नेटवर्क में शामिल है । यह समूह जिसकी शुरुआत नवम्बर 2001 में हुई थी, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित करता है और उसमें विभिन्न बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं में मानव संसाधन की कार्यप्रणाली पर चर्चा करता है और उसके द्वारा सदस्यों को पारस्परिक रूप में अनुभवों का लाभ मिलता है ।

क्षेत्रीय कार्यालय तथा केंद्रीय कार्यालय विभागों के पुनः समूहीकरण/ पुनर्गठन पर समिति

14.20 क्षेत्रीय कार्यालय तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों के पुनः समूहीकरण/पुनर्गठन की सम्भाव्यता पर विचार करने के लिए कार्यपालक निदेशकों की एक समिति बनाई गई है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की समयपूर्व सेवाविच्छेद योजना

14.21 समयपूर्व सेवाविच्छेद योजना (ईएसएस) 13 फरवरी 2001 से आरंभ हुई थी, जिसे 15 दिसम्बर 2001 से समाप्त कर दिया गया ।

ग्रीष्मकालीन नियोजन योजना

14.22 रिज़र्व बैंक प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों से आवेदन पत्र मांगते हुए एक ग्रीष्मकालीन नियोजन करता है । वर्ष 2001-02 के लिए केंद्रीय बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना बनाने के लिए महाराष्ट्र और गोवा के 26 विद्यार्थियों का चयन किया गया था । विकेंद्रीकृत व्यवस्थाओं के अंतर्गत अहमदाबाद, बेंगलूर, चेन्नै, कोलकाता, नई दिल्ली, कानपुर तथा लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने परिचालन क्षेत्र में इस योजना का प्रबन्ध करते हैं ।

हिंदी का संवर्धन

14.23 रिज़र्व बैंक राजभाषा नीति का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों तथा राजभाषा से संबंधित अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार करता रहा है । वार्षिक कार्यक्रम 2001-2002 का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया । वर्ष के दौरान कम्प्यूटर के माध्यम से हिंदी के प्रयोग पर मुख्य ज़ोर दिया गया । द्विभाषी कम्प्यूटरीकरण के विभिन्न प्रयोजनों हेतु एक उच्च तकनीकी कम्प्यूटर लैब की स्थापना बैंक में की गई जहाँ स्टाफ के साथ-साथ अधिकारियों को भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है । आसान परिचालनों के लिए द्विभाषी साफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित किये गये हैं । बैंक की हिंदी वेबसाइट में उपयोगी सामग्री शामिल की गई है । बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों के अधिकारियों के लिए भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये ।

14.24 रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै ने बैंक के ऐसे अधिकारियों के लिए जो अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग करते हैं और अनुप्रयोगों को विकसित करते हैं, आइआइटी, चेन्नै तथा सी-डैक, पुणे तथा बेंगलूर के उसके स्कन्ध के सहयोग से हिन्दी प्रोग्रामिंग पर दो दिवसीय प्रथम सेमिनार का आयोजन किया ।

14.25 रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार की अनेक योजनाओं अर्थात हिंदी शिक्षण योजना, शील्ड योजनाएं और विविध प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन जारी है । विभिन्न पत्रिकाएं अर्थात *चिंतन अनुचिंतन, विदाउट रिज़र्व, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन* हिंदी/द्विभाषिक रूप में

प्रकाशित किये गये । दैनंदिन कार्य में हिंदी के प्रयोग हेतु अनुकूल परिवेश निर्माण करने के उद्देश्य से *हिंदी दिवस* समारोहों के भी आयोजन किये गये । विभिन्न बैठकों में चर्चा एवं विचार-विमर्शों में वरिष्ठ प्रबंध के स्तर पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाया गया ।

14.26 राजभाषा संसदीय समिति की तीसरी उप-समिति ने बैंक के तिरुवनंतपुरम कार्यालय का दौरा किया और उस कार्यालय में हिंदी के प्रयोग के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा की । इसके अलावा उक्त समिति की अभिलेख तथा साक्ष्य उप-समिति ने भी रिज़र्व बैंक की लखनऊ तथा पणजी शाखाओं का दौरा किया ।

14.27 अनुवाद के क्षेत्र में, रोजमर्रा के अनुवाद के अलावा अर्थात राजभाषा अधिनियम में उल्लिखित दस्तावेजों के हिंदी अनुवाद, संयुक्त संसदीय समिति, मास्टर परिपत्रों जैसे विभिन्न अन्य स्रोतों से निर्मित अनुवाद कार्य को भी पूरा किया गया ।

औद्योगिक संबंध

14.28 वर्ष 2001-02 (जुलाई-जून) के दौरान बैंक में औद्योगिक संबंध कमोबेश शांतिपूर्ण रहे । तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी संघ (एआइआरबीइए) (मान्यताप्राप्त) तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन (एआइआरबीडब्ल्यूएफ) (मान्यताप्राप्त) ने कुछ मांगों के बारे में और मुद्रा प्रबंध के मामले में क्रियाविधि/प्रणालियों में कुछ परिवर्तनों के संबंध में भी कतिपय मामले उठाये । इन मामलों पर एआइआरबीइए तथा एआइआरबीडब्ल्यूएफ दोनों के साथ कई बैठकें हुईं और परिणामस्वरूप यूनियनों ने प्रबंध-तंत्र को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने तथा उत्पादकता में सुधार लाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया । अधिकारियों के संघों के साथ भी समय-समय पर उनकी सेवा शर्तों के बारे में चर्चाएं हुईं ।

भर्ती

14.29 वर्ष 2001 के दौरान रिज़र्व बैंक ने 214 कर्मचारियों की भर्ती की, जिसमें 61 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे, जो कुल भर्ती के 28.5 प्रतिशत हैं (सारणी 14.1) ।

सारणी 14.1 : वर्ष 2001 के दौरान भर्ती
(1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक)

श्रेणी	कुल भर्ती	जिसमें से		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
संवर्ग I	40	11	4	27.5	10.0
संवर्ग III	69	7	4	10.1	5.8
संवर्ग IV	105	20	15	19.0	14.3
जिसमें से					
(क) सफाई कर्मचारी	22	7	2	31.8	9.1
(ख) अन्य	83	13	13	15.7	15.7
कुल	**214**	**38**	**23**	**17.8**	**10.7**

14.30 वर्ष के दौरान कुल स्टाफ की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही । यह दिसंबर 2000 के अंत के 31,275 से कम होकर दिसंबर 2001 के अंत में वह 29,922 रह गई (चार्ट XIV.1) । कुल स्टाफ सदस्यों में से 7,860 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं (सारणी 14.2-14.5) ।

चार्ट XIV.1 रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या

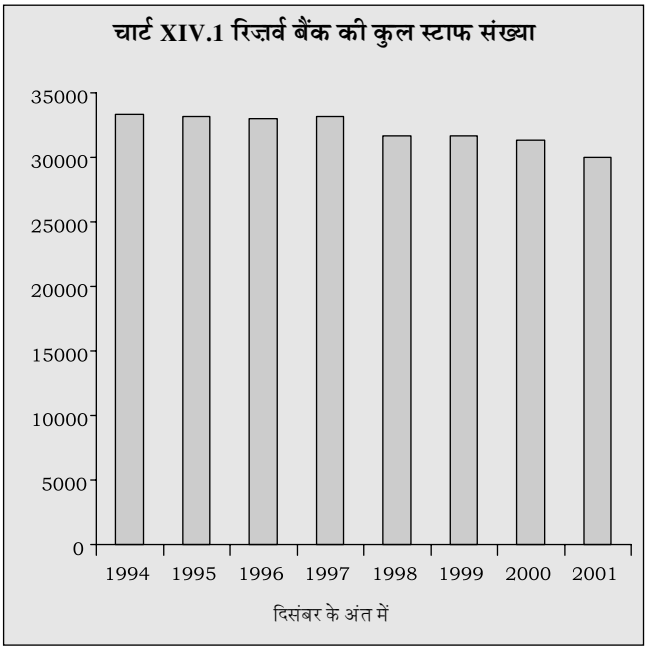

सारणी 14.2 : कुल स्टाफ संख्या

	प्रवर्ग-वार संख्या						कुल संख्या के साथ प्रतिशत	
	कुल संख्या		अजा		अजजा		अजा (4 के प्रति 2)	अजजा (6 के प्रति 2)
संवर्ग	दिसंबर 31, 2001	दिसंबर 31, 2000	दिसंबर 31, 2001	दिसंबर 31, 2000	दिसंबर 31, 2001	दिसंबर 31, 2000	दिसंबर 31, 2001	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
संवर्ग I	7,342	7,881	785	776	229	208	10.7	3.1
संवर्ग III	13,324	13,837	2,038	2,067	1,091	1,093	15.3	8.2
संवर्ग IV	9,256	9,557	2,919	2,976	798	804	31.5	8.6
कुल	**29,922**	**31,275**	**5,742**	**5,819**	**2,118**	**2,105**	**19.2**	**7.1**

सारणी 14.3 : 31 दिसंबर 2001 को संवर्ग-वार वास्तविक स्टाफ संख्या

	संवर्ग	वास्तविक संख्या
	1	2
	संवर्ग I	
1.	वरिष्ठ अधिकारी, ग्रेड एफ	65
2.	वरिष्ठ अधिकारी, ग्रेड ई	205
3.	वरिष्ठ अधिकारी, ग्रेड डी	401
4.	अधिकारी ग्रेड सी	885
5.	अधिकारी ग्रेड बी	1,481
6.	अधिकारी ग्रेड ए	3,468
7.	कोषपाल	18
8.	उप कोषपाल	128
9.	सहायक कोषपाल	691
	संवर्ग I में कुल स्टाफ संख्या	**7,342**
	संवर्ग III	
1.	लिपिक ग्रेड I	4,009
2.	लिपिक ग्रेड II	6,933
3.	आशुलिपिक	370
4.	टंकक	765
5.	टेलर	393
6.	संवर्ग III (अन्य)	854
	संवर्ग III में कुल स्टाफ संख्या	**13,324**
	संवर्ग IV	
1.	चपरासी	1,902
2.	मजदूर	2,347
3.	संवर्ग IV(अन्य)	5,007
	संवर्ग IV में कुल स्टाफ संख्या	**9,256**
	रिज़र्व बैंक में कुल स्टाफ संख्या	**29,922**

14.31 कैलेण्डर वर्ष 2001 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बैंक के संपर्क अधिकारियों ने बैंक के हैदराबाद, मुंबई और बेंगलूर कार्यालयों में रखे आरक्षण रोस्टर का निरीक्षण किया । प्रबंध-तंत्र और ऑल इंडिया रिज़र्व बैंक शेड्यूल्ड कास्ट्स/शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बुद्धिस्ट एम्प्लाईज फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच वर्ष के दौरान तीन बार बैठकें आयोजित की गईं जिनमें बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई । केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार बैंक ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान किया है । बैंक में (31 दिसंबर 2001 को) ओबीसी का प्रतिनिधित्व संवर्ग I में 103 (1.4 प्रतिशत), संवर्ग III में 109 (0.8 प्रतिशत) और संवर्ग IV में 379 (4.1 प्रतिशत) है ।

14.32 वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के हितों के रक्षोपायों की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के संबंध में गठित संसदीय समिति ने रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय का दौरा किया ।

14.33 रिज़र्व बैंक में दिसम्बर 2001 के अंत में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या संवर्ग I में 117, संवर्ग III में 568 और संवर्ग IV में 1,182 थी । दिसम्बर 2001 के अंत में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या संवर्ग I में 60 और संवर्ग III एवं IV के संवर्ग में क्रमशः 299 और 151 थी ।

सारणी 14.4 : 31 दिसंबर 2001 को केन्द्रीय कार्यालय में विभाग-वार स्टाफ संख्या

	विभाग / कार्यालय	संवर्ग I	संवर्ग III	संवर्ग IV
	1	2	3	4
1.	प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग (डीएपीएम)	126	147	70
2.	बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी)	123	127	87
3.	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस)	131	47	27
4.	मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम)	50	33	25
5.	आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीईएपी)	215	254	113
6.	व्यय और बजट नियंत्रण विभाग (डीईबीसी)	57	112	44
7.	बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआइओ)	55	44	14
8.	सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग (डीईएसएसीएस)	131	274	106
9.	सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए)	60	91	34
10.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआइटी)	99	25	17
11.	गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)	61	16	12
12.	विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग (ईसीडी)	130	200	91
13.	मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडीडी)	22	25	9
14.	आंतरिक ऋण प्रबंध कक्ष (आइडीएमसी)	29	15	9
15.	औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग (आइईसीडी)	35	29	18
16.	निरीक्षण विभाग (आइडी)	54	20	11
17.	विधि विभाग (एलडी)	30	21	17
18.	प्रेस संपर्क प्रभाग (पीआरडी)	7	7	6
19.	परिसर विभाग (पीडी)	52	64	59
20.	रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड (आरबीएसबी)	12	14	9
21.	ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (आरपीसीडी)	78	47	43
22.	सचिव विभाग	37	25	34
23.	शहरी बैंक विभाग (यूबीडी)	77	55	48
	कुल	**1,671**	**1,692**	**903**

सारणी 14.5 : 31 दिसंबर 2001 को कार्यालय-वार स्टाफ संख्या

विभाग / कार्यालय	संवर्ग I	संवर्ग III	संवर्ग IV
1	2	3	4
1. अहमदाबाद	298	591	389
2. बेंगलूर	349	697	397
3. बेलापुर	111	278	226
4. भोपाल	141	113	114
5. भुवनेश्वर	141	246	239
6. चंडीगढ़	151	123	120
7. चेन्नै	568	1,098	731
8. गुवाहाटी	182	348	273
9. हैदराबाद	297	488	401
10. जयपुर	216	437	326
11. जम्मू	53	38	45
12. कानपुर	259	709	550
13. कोच्चि	39	93	53
14. कोलकाता	589	1,764	1,090
15. लखनऊ	134	220	136
16. मुंबई	884	1,654	1,504
17. नागपुर	253	702	403
18. नई दिल्ली	527	1,122	642
19. पणजी, गोवा	9	8	4
20. पटना	220	568	403
21. पुणे- सीएबी- सीआरडीसी	36	55	91
22. तिरुवनंतपुरम	214	280	216
कुल	**5,671**	**11,632**	**8,353**

सरकार का बैंकर

14.34 हाल ही के वर्षों में, रिज़र्व बैंक को सौंपे गये सरकार के बैंक के कार्य में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया परिलक्षित होने लगी है। रिज़र्व बैंक का प्रयास रहा है कि ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाए जिसमें रिज़र्व बैंक के पास के सरकारी खाते में तात्कालिक जमा को सुनिश्चित करते हुए आम आदमी सरकारी देयताओं का भुगतान अपनी पसंद की बैंक शाखा में कर सकें। सरकारी लेखों के प्रबंध के लिए 1 जुलाई 2001 में केन्द्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय प्रणाली की स्थापना की गई। यह प्रणाली इस तरह से तैयार की गई है जिससे केन्द्र और राज्य सरकारों को अपनी नकदी शेष की स्थिति और अन्य लेनदेनों के बारे में निरंतर आधार पर साथ-साथ जानकारी उपलब्ध की जा सके और अधिक सुधार के रूप में सीएएस, नागपुर और विभिन्न सिविल तथा रक्षा मंत्रालयों के बीच सूचना के इलेक्ट्रानिक विनिमय के 'हब' के रूप में कार्य करने के लिए वास्तविक निजी नेटवर्क (वीपीएन) की स्थापना की जा रही है। ऐसी व्यवस्था से विभिन्न प्रमुख लेखा कार्यालयों को अंतर-सरकारी लेनदेनों की सूचना इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने, तत्काल पुष्टि सूचना (समाशोधन सूचना) प्राप्त करने और लेखों के मिलान की अधिकतर समस्याओं का निराकरण करने में सहायता मिलेगी।

14.35 मई 2001 में मुंबई में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में प्राप्त सुझावों की प्रतिक्रिया स्वरूप रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकार के लेनदेनों के संबंध में लेखांकन और लेखों के मिलान की क्रियाविधि के संबंध में एक कार्यदल का गठन किया। इस कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट मई 2002 में प्रस्तुत की और रिपोर्ट में इस समूह ने लेन-देन प्रवाह में तेजी सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान प्रणाली में उचित उन्नति, प्रारम्भ की बिन्दु से उसके अंतिम लेखांकन तक सूचना और लेखे समन्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था, क्रमिक रूप से चेक भुगतान प्रणाली अपनाकर विद्यमान बिल भुगतान प्रणाली को समाप्त कर देना, कम्प्यूटरीकृत वातावरण के अनुरूप चालानों का मानकीकरण, सरकारी खातों के प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, सरकारी खातों में विलंबित प्राप्तियों के संबंध में एजेंसी बैंकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की अदायगी करने की सिफारिश की है। इस समिति की सभी सिफारिशें मान ली गयी हैं और एक समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकारों, के वित्त विभागों, महा लेखाकारों और रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों को लेकर एक सलाहकार समिति गठित की जा रही है।

14.36 ग्राहक संतुष्टि के स्तर का आकलन करने और सरकारी कारोबार के परिचालनों में सुधार लाने की पद्धतियाँ सुझाने के लिए रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2001 में चार दलों (बंगलूर, चेन्नै, हैदराबाद और नागपुर कार्यालयों में एक-एक) का गठन किया। जनवरी 2002 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट, बहुत-सी उपयोगी सिफारिशें की हैं। जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* (अल्पावधि में) एजेंसी बैंकों (अल्पावधि में 80) प्रतिशत और सरकारी विभागों दोनों में कम्प्यूटरीकरण का स्तर बढ़ाने के लिए मार्गदर्शी दिशा-निर्देश तैयार करना, इलेक्ट्रानिक माध्यम से हिसाब के कच्चे चिट्ठे (स्क्रोल) का प्रेषण, सरकारी विभागों के लाभार्थ टेली-बैंकिंग सुविधा का प्रावधान करना, चालान फार्मेटों की समीक्षा, सरकारी भुगतानों के लिए केवल स्थानीय चेक स्वीकार करना, गैर-माइकर लिखतों को समाप्त करना, सरकारी भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा का उपयोग बढ़ाना शामिल हैं। इन समूहों ने स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए सतत आधार पर समस्याओं की समीक्षा करने हेतु सभी केन्द्रों पर एक स्थायी सलाहकार समिति की भी सिफारिश की। रिज़र्व बैंक इन सभी सिफारिशों को सरकार/एजेंसी बैंकों के परामर्श से कार्यान्वित करेगा। इससे रिज़र्व बैंक के सरकार के बैंकर के कार्य के आधुनिकीकरण में सुविधा होगी (बाक्स XIV.1)।

परिसर विभाग

14.37 बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों के कार्यालय परिसर में अधुनातन बैकबोन/स्ट्रक्चर्ड केबल नेटवर्क उपलब्ध कराया गया। यह नेटवर्क जिसका मूलतः 'इन्फाइनेट' के एक अंग के रूप में आंकड़ों के अंतरण के लिए उपयोग किया जाता है, अब धीरे-धीरे 'वॉयस एप्लीकेशन' के लिए भी उपयोग किया जाने लगा है। सुरक्षा वातावरण में सुधार लाने के लिए 'क्लोज्ड सर्किट टी.वी. सर्विलेंस सिस्टम' चार और कार्यालयों में लगाया गया तथा शीघ्र ही यह शेष कार्यालयों में भी

बाक्स XIV.1
सरकार के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक

परिपाटी तथा परम्परा के अनुसार या कानूनों में सीधे प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण विश्व में केन्द्रीय बैंक स्थापित किये गये हैं और अपनी-अपनी सरकारों के बैंक हैं। हालांकि वास्तविक प्रथाएं एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकती हैं। भारत में भी, 1 अप्रैल 1935 से रिज़र्व बैंक केन्द्र और राज्य सरकारों का बैंक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 20 और 21 में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार रिज़र्व बैंक को भारत में अपना सारा धन, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा और बैंकिंग लेन-देन तथा अपने लोक ऋण का प्रबंधन सौंपेगी और साथ ही बैंक में अपनी सारी नकदी ब्याज रहित रखेगी। रिज़र्व बैंक, रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 21ए के अंतर्गत किसी भी राज्य सरकार से करार करके उस सरकार की ओर से किये जाने वाले ऐसे ही कार्यों को हाथ में ले सकता है।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों का एक उभय बैंक है। रिज़र्व बैंक तमाम तरह की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि सरकारी खाते में धन स्वीकार करना, निधियों का भुगतान और आहरण तथा पूरे भारत में विभिन्न तरीकों से निधियों की वसूली और अंतरण। सरकारों के मुख्य खाते नागपुर में बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग में रखे जाते हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी खातों की देखरेख भोपाल और चंडीगढ़ स्थित राज्य सरकार कक्षों के अलावा 15 कार्यालयों में की जाती है। जहां पर रिज़र्व बैंक का पूरा कार्यालय नहीं है वहां यह वाणिज्यिक बैंकों को रिज़र्व बैंक के एजेन्ट के रूप में नियुक्त करता है और उन्हें समस्त सरकारी कारोबार करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है, वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के बैंक और दो निजी क्षेत्र के बैंक अपनी 20,800 शाखाओं के माध्यम से सरकारी खातों का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में, एजेन्सी बैंक पूर्ण वित्तीय वर्ष में लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन करते हैं और इस सबके अलावा मात्रात्मक रूप से काफी बड़े लेनदेन रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में किये जाते हैं। कुछ लेनदेन, यद्यपि ये छोटे हैं, सरकारों के अपने कोषागारों और उप-कोषागारों, जिनकी संख्या 453 है और जिनके पास करेंसीचेस्ट हैं, द्वारा किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार का बैंक होने के नाते रिज़र्व बैंक सरकार को हर तरह की संबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराता है। इनमें विनिमय, विप्रेषण लेन-देन, लोक ऋण प्रबंध और नये ऋणों का निर्गम, भारत सरकार के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का कार्य, सरकार की अधिशेष निधियों का निवेश, सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करना, समेकित ऋण शोधन निधि जैसी विशेष निधियों का प्रबंधन, गारंटी मोचन निधि, आपदा राहत निधियां, राष्ट्रीय रक्षा योजना आदि, राहत बांडों जैसे 'टैप बांडों' का निर्गम और उनका प्रबंधन, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की पेंशन संवितरण योजना का प्रबंधन और मौद्रिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य वाले सभी मामलों पर सरकार के परामर्शदाता के रूप में कार्य करना शामिल है।

सरकार के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका के संदर्भ में अनेक प्रश्न उठते हैं। पहला, रिज़र्व बैंक एजेन्सी बैंकों के पक्ष में सरकार से संबंधित फुटकर बैंकिंग कारोबार को छोड़ने पर विचार कर सकता है और आगे चलकर बैंक सरकारों के मात्र मुख्य खाते ही रखेगा। दूसरा, हाल के वर्षों में सरकारी कारोबार के संचालन की लागत बढ़ती जा रही है। वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत रिज़र्व बैंक सरकार का सामान्य बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए राज्य सरकारों से किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने के लिए पात्र नहीं है सिवाय इस लाभ के कि उसके पास रखी जाने वाली नकद राशि पर ब्याज देने की उसकी कोई बाध्यता नहीं है और वह राशि उसके पास रहने से होनेवाला लाभ ही उसका लाभ है। तथापि, विद्यमान न्यूनतम शेषराशि से रिज़र्व बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन की लागत की भरपाई नहीं हो पाती, वहीं रिज़र्व बैंक को उसकी ओर से सरकारी कारोबार चलाने के लिए एजेन्सी बैंकों को सरकारी कारोबार के संचालन हेतु उन पर आनेवाली लागत से संबद्ध दर पर पारिश्रमिक भी देना होता है। यह दर पंचवर्षीय आधार पर संशोधित की जाती है और वर्तमान में यह 100 रुपये के सरकारी टर्नओवर पर 11.80 पैसा है। एजेन्सी बैंकों ने इन दरों के निर्धारण की पद्धति को संशोधित करने का अनुरोध किया है और उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अधिकांश देशों में यह लागत संबंधित सरकारों द्वारा वहन की जाती है न कि केन्द्रीय बैंक द्वारा। वर्तमान लागत जोड़ पद्धति से एजेन्सी प्रभारों के निर्धारण को तर्कसंगत बनाने का एक संभावित तरीका यह है कि एजेन्सी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार के लिए बोली लगाने की पद्धति शुरू कर दी जाये। तीसरा, सरकार भारी और पुनरावृत्तिक स्वरूप के लेन-देनों यथा वेतन, पेंशन, आयकर वापसी आदेशों के लिए इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) का उपयोग कर सकती हैं तथा प्रत्यक्ष करों की वसूली से शुरुआत करके करों की वसूली को सुसाध्य बनाने के लिए एक भिन्न इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रणाली प्रारंभ करने की संभावना की जांच भी कर सकती हैं। अंत में विभिन्न आकार, प्रकार के उपयुक्त चालानों की अनेक प्रतियों के साथ सरकारी खाते में जमा करने की विद्यमान व्यवस्था को एक साधारण जमापर्ची से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जैसा कि बैंक में जमा करने के मामले में किया जाता है और बाद में 'पैन' का उल्लेख करके इसे इलेक्ट्रानिक रूप से किया जा सकता है।

संदर्भ

1. वाई.वी. रेड्डी (2002), आर्थिक सुधार और सरकारों के बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासमान भूमिका, 3 अप्रैल को इंडियन सिविल एकाउंट्स आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के सिल्वर जुबली समारोह के सम्मेलन में दिया गया भाषण।

लगाया जायेगा। इसके अलावा, अधुनातन 'एक्सेस कंट्रोल सिस्टम' में बायो-मेट्रिक्स तथा अन्य सुरक्षा पहलुओं के साथ-साथ 'एक्स-रे बैगेज चेकिंग सिस्टम' रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में लगायी जा रही हैं। रिज़र्व बैंक लखनऊ में अपना कार्यालय भवन बना रहा है जो 2004 के मध्य तक पूरा हो सकता है।

विधिक सुधार

14.38 वित्तीय क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सतत हो रहे परिवर्तनों के संदर्भ में विद्यमान कानूनों के प्रावधानों में संशोधन हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं ताकि वे इस बदले माहौल के अनुरूप बन सकें। हाल के महीनों में बैंकिंग क्षेत्र में लागू किये गये प्रमुख विधिक सुधारों के अंतर्गत सुरक्षा विधि, परक्राम्य लिखत अधिनियम, बैंकों से संबंधित धोखाधड़ियां और बैंकिंग का विनियामक ढांचा जैसे क्षेत्र आते हैं (बाक्स XIV.2)।

रिज़र्व बैंक में विभागों का निरीक्षण

14.39 निरीक्षण विभाग के कार्य-निष्पादन तथा कार्यालयों / विभागों के संबंध में विभाग द्वारा की गयी टिप्पणियों के अनुपालन की निगरानी केन्द्रीय बोर्ड की 'निरीक्षण और लेखा परीक्षा उप-समिति' (आइएएससी) के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन कार्यपालक निदेशक की एक समिति द्वारा की जाती है। जुलाई 2001 - जून 2002 के दौरान 20 क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय विभागों की प्रबंध लेखा परीक्षा एवं प्रणाली निरीक्षण (एमएएसआइ) किया गया। प्रबंध लेखा परीक्षा के अंतर्गत तीन बातों अर्थात संगठन

बाक्स XIV.2

विधायी सुधार : 2001-02

जुलाई 2001 - जून 2002 की अवधि में विद्यमान कानूनों को संशोधित करने के लिए अनेक कदम उठाये गये ताकि उन्हें विकसित हो रहे परिवेश के अनुरूप ढाला जा सके। संसद में अनेक विधेयक लाये गये। इसके अलावा सरकार के पास अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं जैसी कि आगे चर्चा की गयी है।

1. *परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2001* : यह विधेयक 24 जुलाई 2001 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक में *अन्य बातों के साथ-साथ* चेकों के अनादरण का दण्ड एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने और इन मामलों की संक्षिप्त मुकदमे/सुनवाई द्वारा त्वरित और समयबद्ध निपटारा करने का उपबंध किया गया है। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफ़ारिश की है कि चेकों और इलेक्ट्रानिक चेकों की कांट-छांट (ट्रंकेशन) शुरू करने संबंधी कार्यदल की सिफारिशों को इस विधेयक में शामिल किया जा सकता है।

2. *बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949* : बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में व्यापक संशोधन का सुझाव देने वाला प्रारूप विधेयक भारत सरकार को भेजा गया था। इस प्रारूप विधेयक की प्रमुख सुर्खियां हैं बैंकों की सहायक कंपनियों को संबद्ध उधार देना और अग्रिमों पर प्रतिबंध, रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना बैंकिंग कंपनियों की शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक के अधिग्रहण पर प्रतिबंध, कतिपय परिस्थितियों में बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल को हटाने की शक्ति रिज़र्व बैंक को प्रदान करना, लेखा-परीक्षकों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का निर्देश देना और ऐसी सूचना इस रिपोर्ट में देना, बैंकिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों का समेकित पर्यवेक्षण तथा लेखों का भी समेकन।

3. *भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934* : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रेषित प्रारूप विधेयक, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन सुझाए गये हैं, भारत सरकार के पास विचाराधीन है। कुछ परिवर्तन जो इसमें प्रस्तावित किए गए हैं उनमें शामिल है - मौद्रिक प्रबंधन से सरकार के ऋण प्रबंधन को अलग करना, पारस्परिक आधार पर अन्य केन्द्रीय बैंकों या भारत के बाहर के मौद्रिक प्राधिकरण को तथा भारत में अन्य विनियामक प्राधिकरण को ऋण सूचना का प्रकटीकरण, मौद्रिक नीति के प्रबंधन में लचीलापन लाने के लिए निर्दिष्ट सीमा समाप्त करके प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को सरल बनाना, निधि के इलेक्ट्रानिक अंतरण और बहुविध भुगतान प्रणाली के लिए बैंक को शक्ति प्रदान करना।

4. *निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम में संशोधन* : एक नये (प्रस्तावित) विधेयक की रूपरेखा जिसका नाम 'निक्षेप बीमा निगम' रखा गया है, सरकार को भेजी गयी है। प्रस्तावित विधान में *अन्य बातों के साथ-साथ* उपबन्ध है कि प्रत्यय गारंटी के कार्य को समाप्त कर दिया जाये और बीमाकृत बैंकों के लिए जोखिम आधार पर प्रीमियम लेना शुरू किया जाये तथा उसमें निगम को अपेक्षित शक्तियां देने की भी व्यवस्था है ताकि वह सक्रिय भूमिका अपना सके और कतिपय मामलों में बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने के लिए या उन्हें बंद करने का आदेश देने के लिए आवश्यक कदम उठा सके।

5. *वित्तीय धोखाधड़ी (संपत्ति की जांच, अभियोजन, वसूली और उसकी वापसी) अधिनियम, 2001 संबंधी उदाहरणात्मक विधान*: बैंक धोखाधड़ियों से बचाव के संबंध में डा. एल.एन. मित्रा, उप-कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा रचित एक उदाहरणात्मक विधान सरकार के पास विचार के लिए भेजा गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा धोखाधड़ियों के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने जांच की और धोखाधड़ियों के निवारणात्मक और सुधारात्मक दोनों ही पहलू सुझाए। इस समिति की महत्त्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल हैं : वित्तीय धोखाधड़ियों को एक फौजदारी अपराध के रूप में शामिल करने की आवश्यकता और वित्तीय धोखाधड़ियों पर एक नया अध्याय शामिल करके भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना ताकि प्रमाण का भार अभियुक्त पर डाला जा सके

(जारी....)

(समाप्त....)

और वित्तीय धोखाधड़ियों में शामिल संपत्तियों के हस्तांतरण तथा गैर-कानूनी लाभों को जब्त करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में विशेष प्रावधान करना और निवारक उपाय जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सर्वोत्तम आचार संहिता विकसित करना ।

6. अन्य विधेयक जोकि विचाराधीन हैं उनमें शामिल है : औद्योगिक और वाणिज्यिक वचनबद्धता के कारण ऋणों की फैक्टरिंग संबंधी एक विधेयक, सरकारी प्रतिभूति विधेयक नामक नये अधिनियम से विद्यमान लोक ऋण अधिनियम, 1944 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव, शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षण प्राधिकरण गठित करने हेतु 'शहरी सहकारी बैंक पर्यवेक्षी प्राधिकरण अधिनियम, 2001' नामक एक प्रारूप विधेयक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और नाबार्ड की पूंजी में भारतीय रिज़र्व बैंक की शेयर धारिता के विनिवेश हेतु भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है ।

7. इस प्रयोजन के लिए 21 जून 2002 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण तथा पुनर्विन्यास एवं प्रतिभूति हित अध्यादेश 2002 की घोषणा की गई और इससे जुड़े या उससे सम्बंधित मामलों को इससे सम्बद्ध कर दिया गया ।

की दक्षता, आर्थिक स्थिति तथा प्रभावशीलता पर ध्यान देना जारी रहा । प्रबंध लेखा परीक्षा की व्याप्ति बढ़ायी गयी और इसमें (क) शक्तियों का प्रत्यायोजन, इसकी प्रभावशीलता और नियंत्रण तथा (ख) विभागों के अंदर तथा विभागों के बीच समन्वय को भी शामिल किया गया । क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कक्षों का निरीक्षण इस वर्ष से शुरू किया गया है । निरीक्षण विभाग निरीक्षण करने के लिए जोखिम आधारित रणनीति विकसित करने की प्रक्रिया में है जिसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियों की पहचान की जायेगी जो अधिक जोखिम प्रवण हैं ताकि इन कक्षों में सीमित लेखा परीक्षा के संसाधनों को सघन रूप से नियोजित किया जा सके ।

प्रसारण नीति

14.40 आर्थिक और वित्तीय बाजारों में केन्द्रीय बैंक की भूमिका के विशेष संदर्भ में, उसके हित को अधिक व्यापक और गहन बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक एक उपयुक्त संचार नीति पर जोर देता रहा है । रिज़र्व बैंक की प्रसारण नीति का मुख्य उद्देश्य रिज़र्व बैंक तथा जनता के बीच एक सार्थक और हितकारी सहभागिता को बनाने और उसे विकसित करने तथा नीति के बारे में दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से जनता में जागरूकता लाने और उनसे निरन्तर प्रति-सूचना प्राप्त करने का रहा है । इस प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं *अन्य बातों के साथ-साथ,* नीतिगत उद्देश्यों पारदर्शिता, समसामयिकता और विश्वसनीयता है । इसके अलावा, यह संचार नीति गतिशील है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा देशी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नीतिगत परिवेशों के साथ गति बनाये रखने में समर्थ बनाती है ।

14.41 रिज़र्व बैंक वर्षों से स्थापित और सुदृढ़ की गयी व्यापक सांख्यिकीय प्रणाली से प्राप्त होनेवाले उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े जनता को उपलब्ध करता है । गत कुछ वर्षों के दौरान इंटरनेट के बढ़ते हुए उपयोग में इस सूचना प्रसारण की परम्परा में सुधार किया गया है । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 'विशेष' आंकड़ा प्रसारण मानक के अंतर्गत आंकड़ों के प्रसारण की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट का भी उपयोग किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली सूचनाओं में *अन्य बातों के साथ-साथ* दैनिक प्रेस प्रकाशनी जिसमें लगभग प्रातः 9.00 बजे मुद्रा बाजार से प्राप्त आंकड़े जारी किये जाते हैं, लगभग 1.00 बजे अपराह्न में चलनिधि समायोजन सुविधा के एक भाग के रूप में रिपो और रिवर्स रिपो के ब्यौरे जारी किये जाते हैं, लगभग 2.00 बजे अपराह्न में अमरीकी डालर - रुपये और यूरो - रुपये की संदर्भ दरें जारी की जाती हैं और साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक जिसके माध्यम से मुद्रा, बैंकिंग और मूल्य संबंधी आंकड़े जारी किये जाते हैं, शामिल हैं । आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण मासिक भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट तथा मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट जैसे अनेक प्रकाशनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । रिज़र्व बैंक अपने विभिन्न नियमित प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित करता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट को बढ़ाना

14.42 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने वेबसाइट में दो नये फीचर्स जोड़े गये ताकि उसे प्रयोक्ता के और अधिक अनुकूल बनाया जा सके । जैसे ही कोई सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है तो ई-मेल के जरिए अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता वेबसाइट पर अपने को पंजीकृत कर सकता है । जून 2002 की समाप्ति तक 5,261 उपयोगकर्ताओं ने ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए अपने आप को पंजीकृत कराया है । उपयोगकर्ता इसकी नियमित जानकारी के लिए सीधे ही आरबीआइ वेबसाइट में जाकर व्यक्तिगत रूप से वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । कुल 4,471 लोगों ने जून 2002 की समाप्ति तक इस सेवा का उपयोग किया है । मौद्रिक नीति संबंधी दस्तावेजों को तथा सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से संबंधित घोषणाएं करने की वर्तमान ई-मेल सुविधा जारी है । अक्तूबर 2001 और अप्रैल 2002 में घोषित मौद्रिक और ऋणनीति संबंधी वक्तव्यों की क्रमशः कुल 711 और 2,690 ई-मेल प्रेषित की गयीं ।

14.43 रुपये की विनिमय दरों की सूचना के लिए वेबसाइट के होम पेज पर एक पूछताछ सुविधा उपलब्ध करायी गयी । पिछले सात दिनों के लिए 4 प्रमुख मुद्राओं की दरें चार्ट के रूप में दर्शायी जाती हैं ताकि रुपये की तुलाना में इन मुद्राओं में होनेवाली घट-बढ़

को एक नजर में साइट पर देखा जा सके । साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक तथा रिज़र्व बैंक बुलेटिन की आंकड़ा संबंधी सारणियों को पुराने रिकार्ड (आरकाइव्ड) फार्म में उपलब्ध कराया गया है । यह सुविधा वेबसाइट देखनेवाले को वेबसाइट से ऐतिहासिक आधार पर उन्हीं आंकड़ों की सारणी तक पहुंचाने के लिए सुविधा देती है । प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र आरबीआइ प्रमुख वेबसाइट पर प्रदर्शित किये गये हैं । एक विशेष यूआरएल www.bankresults.rbi.org.in के माध्यम से इन तक पहुंचा जा सकता है ।

14.44 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 1,435 प्रेस प्रकाशनी जारी की हैं तथा अपनी वेबसाइट पर 600 मेगाबाइट की और सामग्री डाली है जिससे वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना की मात्रा बढ़कर 45 गीगाबाइट हो गयी है । औसतन प्रतिदिन उपयोगकर्ताओं द्वारा एक गीगाबाइट से अधिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है ।

14.45 सूचनाओं के प्रसारण में वर्ष 2001-02 के दौरान की गयी अन्य पहलों में एक है मौद्रिक और ऋण नीति के अवसर पर अक्तूबर 2001 और अप्रैल 2002 में गवर्नर के प्रेस सम्मेलन को सीधे टेलीविजन पर दिखाना जिसका उद्देश्य था मौद्रिक नीति पर संवाददाताओं द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण को आम जनता तक पहुंचाना । इस दूरदर्शन प्रसारण को बाद में आरबीआइ वेबसाइट पर भी ड़ाला गया । इसी प्रकार, वर्ष 2002-03 के लिए केन्द्रीय बजट पर उप गवर्नर की टिप्पणी भी वेबसाइट पर डाली गयी ।

14.46 वेबसाइट में और सुधार करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए रिज़र्व बैंक ने लंदन की एक फर्म के माध्यम से एक व्यापक अध्ययन किया । उक्त फर्म ने रिज़र्व बैंक की वेबसाइट का आठ केन्द्रीय बैंकों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक की वेबसाइट के साथ दर्जा निर्धारित किया । इसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए जिन मानकों को आधार बनाया, उनमें समग्र प्रभावशीलता, डिजाइन, नेवीगेशन, विषयवस्तु, प्रौद्योगिकी का उपयोग, सूचना की पहुंच तथा सूचना के द्वार के रूप में होम पेज थे । उक्त वेबसाइट को समग्र रेटिंग में पर्याप्त संतोषजनक माना गया । सर्वोत्तम संव्यवहारों के लिए दिये जानेवाले पांच सितारों की तुलना में रिज़र्व बैंक वेबसाइट को तीन मानकों में 4 सितारे, 6 मानकों में 3 सितारे और समग्र प्रभावशीलता में 3 सितारे दिये गये ।

14.47 वेबसाइट की रेखांकित सकारात्मक विशेषताए इसप्रकार हैं विशेष सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता वाले बाजार व्यवसायियों के लिए इसकी पैठ, इंटरनेट की शक्तियों का बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग; बहुत अधिक व्यापक मात्रा में रिकार्डबद्ध सामग्री से भारी मात्रा में संग्रहीत आंकड़े; परस्पर विनिमयता, तथा मूल्ययोजित कार्य, अधिकांश दस्तावेजों को उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक फोर्मेट । असंगत नेविगेशन उलझनकारी 'सर्च इंजिन', 'ब्रेडक्रम्ब' ट्रैक प्रणाली, पर्याप्त सारांशों की कमी, तथा गैर विशेषीकृत सामग्री ऐसी कुछ कमजोरियां हैं, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जिनमें सुधार के लिए इस अध्ययन में सुझाव दिये गये हैं । रिज़र्व बैंक ने इस अध्ययन में दिये गये सुझावों को लागू करने के लिए कदम उठाये हैं ।

जनता के लिए जानकारी

14.48 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने विज्ञापन अभियान के जरिए सामान्य जनता को जानकारी देने के अपने प्रयास जारी रखे । उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपना धन एनबीएफसी में जमाराशि के रूप में रखने से पहले सत्यापित करने योग्य मानदंडों के बारे में मुद्रण और इलेक्ट्रानिक माध्यम में विज्ञापन जारी किए । विज्ञापन के कुल प्रसारण की अवधि 10,280 सेकंड की थी । ये विज्ञापन 11 भाषाओं के प्रकाशनों में भी जारी किए गए ।

क्षेत्रीय गतिविधियां

14.49 वर्ष के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर सूचना प्रसारण के क्षेत्र में सघन प्रयास किए गए । सर्व साधारण जनता द्वारा ई-मेल/टेलीफोन/फैक्स द्वारा व्यक्त किये गए संदेहों को दूर करने के लिए कई कार्यालयों और विभागों ने सहायता डेस्क बनाए । इस सहायता डेस्क पर नियुक्त अधिकारी अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों के जवाब देते हैं । सहायता डेस्क का ई-मेल पता रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर जारी किया गया ताकि सर्वसाधारण जनता और रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के बीच सीधा संपर्क सहज हो सके । चेन्नै, अहमदाबाद, बंगलूर और नई दिल्ली जैसे कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने स्वागत कक्ष में अपने कार्यालयों से संबंधित सूचना प्राप्त करने तथा साथ ही अपने भवन में आनेवाली आम जनता की सामान्य जानकारी के लिए 'सूचना कियोस्क' स्थापित किये हैं ।

14.50 क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली का व्यापक प्रचार किया गया । इस प्रणाली से आम जनता को एक ऐसा मंच उपलब्ध हुआ है जहाँ वे रिज़र्व बैंक के किसी भी विभाग के विरुद्ध होनेवाली शिकायतों का निवारण करवा सकते हैं । कुछ क्षेत्रीय कार्यालय नियमित आधार पर बैंकरों, पुलिस, सीआइडी, आय कर, रेलवे, डाक और तार, सीमा शुल्क, वाणिज्य मंडल, आदि के प्रतिनिधिक अधिकारियों के लिए दोषपूर्ण नोटों के अधिनिर्णयन और जाली नोटों की पहचान के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं ।

14.51 बैंक के विभिन्न भवनों में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर ग्राहकों के लाभ (हित) से संबंधित/प्रासंगिक सूचना प्रदर्शित की जाती थी । ग्राहकों से शिकायत प्राप्त करने हेतु शिकायत बाक्स रखे गए । बैंक के भवनों में नागरिकों के विशेष अधिकार मोटे रूप से प्रदर्शित किए गए थे ।

14.52 केन्द्रीय कार्यालय में बाह्य संपर्क कक्ष ने प्रेस से टेलीफोन/ फैक्स/पत्र/ ई-मेल से पूछे गए प्रश्नों के जवाब देना और आम जनता द्वारा बैंकिंग, वित्त, विदेशी मुद्रा/निवेश के क्षेत्रों में मांगी गई सूचना तथा मार्गदर्शन देना जारी रखा है ।

14.53 केंद्रीय कार्यालय में आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के पुस्तकालय की रिज़र्व बैंक में सूचना का संग्रहण पुनः प्राप्ति करने और उसे उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है । इस पुस्तकालय के संग्रह में 1,15,540 पुस्तकें और अन्य दस्तावेज, 436 प्रिंट और 1700 सीडी रोम पत्रिकाएं, 950 सीडी रोम का संग्रहण है और पुस्तकों, पत्रिकाओं, पत्रिका के लेखों और अन्य प्रकाशनों के विभिन्न इलेक्ट्रानिक डाटाबेस के लिए 'ऑन लाइन' अभिदान किया गया है । यह पुस्तकालय विभिन्न विभागों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के पुस्तकालयों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध करता है । पुस्तकों के लिए 'ऑन लाइन पब्लिक एक्सेस कॅटलॉग' (ओपीएसी) है और इंट्रानेट के माध्यम से पत्रिकाएं और लेख प्राप्त किए जा सकते हैं । 2001-02 के दौरान में पुस्तकालय में 1033 नई पुस्तके, 683, ग्रेटिस प्रकाशन और 401 जिल्दबंद खण्ड जोड़े गये । बैंक के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लाभ के लिए पुस्तकालय प्रयोक्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

ग्राहक सेवा संबंधी उपाय

14.54 नागरिकों के विशेष अधिकार के बारे में ग्राहकों की संतुष्टि का मूल्यांकन तिमाही अंतराल पर बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और निर्गम विभागों के बारे में प्रति सूचना प्रणाली के माध्यम से किया जाता है । प्राप्त सुझावों का मूल्यांकन किया जाता है और जहां आवश्यक हो वहां उनका कार्यान्वयन किया जाता है ।

14.55 कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टेली बैंकिंग सुविधा शुरू की है । इस सुविधा के माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपने स्थानीय लेनदेन के ब्यौरे तथा साथ ही रिज़र्व बैंक के पास रखे अपने चालू खातों में निधि की स्थिति मालूम कर सकते हैं ।

14.56 कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) से संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए निर्यातकों और आयातकों के साथ ग्राहकों की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की । इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण और इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं और प्रेस प्रकाशनियां जारी की गईं । कुछ कार्यालयों ने राज्य सरकार/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिकारियों और उनके लेखा परीक्षकों को बैंक द्वारा अपनाए गए विनियामक ढांचे से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ सेमिनारों का आयोजन किया ।

14.57 क्षेत्रीय कार्यालयों ने स्वच्छ नोट नीति को कारगर बनाने के लिए जनता से गंदे और कटे फटे नोट इकट्ठा करने के लिए विशेष अभियान चलाने, बैंक शाखाओं और अन्य इच्छुक सार्वजनिक संगठनों के माध्यम से नये मुद्रा नोट और सिक्के उपलब्ध कराने जैसे कई उपाय किए ।

14.58 ग्राहक सेवा मेलों, बैठकों/ सेमिनारों / कार्यशालाओं में अधिकारियों की सहभागिता के माध्यम से और विभिन्न संगठनों/ बैंकों/संस्थाओं एवं पदाधिकारियों के साथ आपसी मेलजोल नियमति रूप से होता रहा । इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों ने जनता को इस आशय की सूचना देने के लिए स्थानीय समाचारपत्रों में नियमित विज्ञापन दिए कि वे पदनामित अधिकारियों से संपर्क करके अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं ।

14.59 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शुरू किए गए कुछ अन्य ग्राहकों के अनुकूल उपाय हैं - बैंकिंग हॉल में ग्राहकों की दृष्टि से उपयोगी सूचना प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रानिक चल प्रदर्शन बोर्ड लगाना, रिज़र्व बैंक भवन में कारोबार करने हेतु पधारे ग्राहकों का मार्गदर्शन करने और उनकी सहायता करने के लिए बैंकिंग हॉल में फ्लोरमार्शल तैनात करना, ग्राहकों और बैंकों के लिए विशेष रूप से विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित मामलों पर हैंडआउट/पैम्फलेट तैयार करना तथा साथ ही स्थानीय इलेक्ट्रानिक मीडिया से साक्षात्कार के जरिए सूचना का प्रसार करना ।

14.60 राहत बांडों के निर्गम और उनके शोधन का कार्य वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) से प्रवर्तित निजी बैंकों सहित देश भर में 1500 से अधिक बैंक शाखाओं तथा भारतीय स्टाक धारित निगम (एसएचसीआई) को विकेन्द्रीकृत / प्रत्यायोजित किया गया है तथा भावी निवेशकों के लाभ के लिए कई अभिगम केन्द्र स्थापित किए गए है । इसके अलावा, निवेशकों को बांड बही खाता के रूप में डीमैट रूपी बांड भी उपलब्ध कराये गये हैं ।

14.61 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि 25,000 रुपये से भी अधिक राशि प्राप्त करने के लिए मृत ग्राहक के उत्तराधिकारी द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने से संबंधित अपेक्षा को कुछ सुरक्षा शर्तों के अधीन वापस किया जाए। सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुएं, बंधक प्रतिभूतियों आदि को विमोचित करने के लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये गये।

14.62 बैंकों को सूचित किया गया कि खाता खोलने के लिए, परिचय कराने हेतु कोई परिचायक आवश्यक नहीं है तथा वे कुछ आधिकारिक दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, चुनाव कार्ड, पहचानपत्र, वाहन चालन लाइसेंस, पीएएन कार्ड, बिक्री कर संख्या आदि के आधार पर खाता खोलने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं । बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि खाते खोलते समय संबंधित व्यक्ति को पहचानने के लिए लचीलापन तथा वैकल्पिक प्रणाली अपनाएं। भारत सरकार के अनुदेश पर, बैंकों को सूचित किया गया कि वे किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए या आवास के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य न करें।

14.63 भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय बैंक संघ से परामर्श करके, अन्यत्रिक चेकों के समाहरण की अधिकतम समय सीमा को और कम करने से संबंधित मुद्दे पर विचार किया। चूंकि यह महसूस किया गया कि बैंकों को 'त्वरित समाहरण सेवा' प्रारंभ करके या समाहरण की स्थिति के बारे में फैक्स आदि द्वारा पता लगाकर इस दिशा में अधिकतम समय सीमा को कम करने का अवसर है, इसलिए उन्हें सूचित किया गया कि वे मौजूदा व्यवस्थाओं तथा क्षमताओं की समीक्षा करें तथा समाहरण अवधि को कम करने की योजना तैयार करें ।

14.64 बैंकों को निदेश दिया गया कि, चालू/बचत खातेदारों के पासबुकों को अद्यतन करते समय, वे सभी लेनदेनों से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करें, जिसके लिए, यदि आवश्यक हो, पैकेजों को पुनः तैयार करें।

14.65 बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस संबंध में सावधानी बरतें कि कुछ व्यक्ति पहले ही मौजूद प्रतिष्ठित संस्थाओं के समान नाम में जमा खाते खोलकर कपटपूर्ण नकदीकरण करते हैं जिससे आहर्तों के खाते से गलत तथा अनावश्यक नामे किया जाता है। जहाँ किसी संस्था (संघटक) के प्रति अपने स्टाफ द्वारा अनियमितता / कपट किया जाता है, वहाँ बैंक को अपने दायित्व को स्वीकार करना होगा तथा संगत दावे को निम्न प्रकार से अदा करना होगा : (i) यदि बैंक चूक करता है तो बैंक को अविलंब ग्राहक की क्षतिपूर्ति करनी होगी (ii) ऐसे मामलों में जहाँ बैंक या ग्राहक चूककर्ता नहीं है, बैंक को ग्राहक की क्षतिपूर्ति (कुछ हद तक) करनी होगी।

आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग द्वारा की गई पहल

14.66 रिज़र्व बैंक का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है जनता को विश्लेषणात्मक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों के अनुसार आंकड़ों के प्रसारण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में समष्टिगत आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों के बारे में मूल्यांकन की जानकारी देना। आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीईएपी) जो रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, विभिन्न प्रकाशन निकालता है, ताकि उनमें समय पर, व्यापक और सही सूचना एवं विश्लेषण दिया जा सके। वर्ष के दौरान इस विभाग ने रिज़र्व बैंक के प्रमुख प्रकाशन अर्थात 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2000-01', 'मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट, 2000-01 और. 'राज्य वित्त - 2001-01 के बजट का अध्ययन' प्रकाशित किए। हाल के वर्षों में इस विभाग का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है, 'मैक्रोइकॉनॉमिक एण्ड मॉनेटरी डेवलपमेंट्स'। यह प्रलेख मौद्रिक और ऋण नीति के विवरण के साथ जारी किया जाता है और इसमें नीति निर्माताओं के लिए समष्टिगत आर्थिक पृष्ठभूमि दी जाती है । रिज़र्व बैंक बुलेटिन में महत्त्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय सूचना मासिक आधार पर (और साप्ताहिक आधार पर अपने साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक द्वारा) देने के अलावा इस विभाग ने वर्ष के दौरान 'हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स आन इंडियन इकॉनॉमी, 2001' भी जारी की । हैंडबुक में दिए गए आंकड़े जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सूचना का संग्रहण है, उसे 'सीडी-रोम' में 'यूजर फ्रेंडली' रूप में 'इंटेलिजंट सर्च' करने के लिए 'आरडीबीएमएस प्लेटफार्म' के रूप में परिवर्तित किया गया है । यह विभाग अपने प्रकाशनों का उपयोग करनेवाले व्यक्तियों से प्राप्त प्रति सूचना पर विशेष ध्यान देता है ताकि प्रकाशन की विश्लेषणात्मक और तथ्यगत सामग्री में और अधिक सुधार लाया जा सके। यह विभाग रिज़र्व बैंक के अन्य विभागों को अपने-अपने प्रकाशन निकालने में मदद करता है । मासिक बुलेटिन का विश्लेषणात्मक स्तर और सूचना सामग्री बढ़ाने के लिए इसका स्वरूप बदलने हेतु इस विभाग में अंतर विभागीय कार्यदल गठित किया गया है ।

14.67 यह विभाग सार्क क्षेत्र के साथ देश के स्तर पर व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। 'सार्क-फाइनेंस' जो सार्क देशों के केन्द्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त सचिवों के अनौपचारिक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, को काठमाण्डु में 2-3 जनवरी 2002 को आयोजित ग्यारहवीं सार्क शिखर परिषद में सार्क मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित विचारणीय विषय के साथ औपचारिक मान्यता दी गई। 'सार्क-फाइनेंस स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम' के अधीन 'रॉयल मॉनेटरी एथॉरिटी ऑफ भूटान' (आरएमबी) के तीन अधिकारी और 'सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका' (सीबीएस) के दो अधिकारी 2001-02 के दौरान रिज़र्व बैंक में पधारे ।

14.68 इस विभाग का विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) जिसका बैंक में नवंबर 1991 में गठन किया गया, ने प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञों और बैंक के अधिकारियों के बीच सार्थक चर्चा करने और आपसी संबंध स्थापित करने में एक मंच की भूमिका अदा करना जारी रखा। डीआरजी ने अपने गठन से लेकर आज तक स्थावर संपदा, सामाजिक, मौद्रिक, राजकोषीय, बैंकिंग और बाह्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर तेईस अध्ययन प्रकाशित किए। वर्ष के दौरान 'ए स्टडी ऑफ स्टेट पब्लिक एकाउंट्स इन इंडिया-विथ स्पेशल एम्फसिस ऑन स्टेट प्रॉविडंट फंड्स' नामक डीआरजी चर्चा पत्र जारी किया गया।

14.69 रिज़र्व बैंक की जिस धर्मादा योजना के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को बैंक के हित के क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय समर्थन दिया जाता है उसमें संशोधन किया गया। भारत में अग्रणी विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं में प्राध्यापकीय पीठों के वार्षिक निधियन की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर 'कॉर्पस फंड' की प्रणाली इस उद्देश्य के साथ लागू की जायेगी ताकि मेज़बान संस्थाओं को अधिक परिचालनात्मक लचीलापन दिया जा सके और प्रशासनिक क्रियाविधियों को सरल बनाया जा सके । मेज़बान संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे निर्धारित पद्धति में सरकार या अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में कॉर्पस फंड का निवेश करें और कॉर्पस

फंड पर मिलनेवाले ब्याज से अनुसंधान/अध्ययन गतिविधियों के संबंध में होनेवाले व्यय की पूर्ति करें । नई निधियन प्रणाली की शुरुआत 2002-03 से होगी । नए 'कॉर्पस फंड' रिज़र्व बैंक की पसंद के क्षेत्रों में अनुसंधान और उच्च अध्ययन का प्रवर्तन करनेवाले शीर्षस्थ राष्ट्रीय निकायों में स्थापित किए गए ।

14.70 रिज़र्व बैंक की धर्मादा योजना के अंतर्गत प्रोफेसर पी.आर. ब्रह्मानंद द्वारा अनुसंधान प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष के दौरान "मनी, इन्कम एण्ड प्राइसेस इन नाइन्टीन्थ सेंचुरी इंडिया" नामक पुस्तक प्रकाशित की गई ।

14.71 रिज़र्व बैंक में अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के प्रवर्तन के लिए भी वर्ष के दौरान पहल की गईं । कर्मचारियों के अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि, जहाँ भी लागू हो, अनेक तरह की फीसों की प्रतिपूर्ति की जाए यदि कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये लेखों को अन्तर्राष्ट्रीय रुप से प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया हों । प्रतिष्ठित संस्थाओं में एम.फिल/डाक्टरेट के अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की योजना सुदृढ़ जा रही है । भारत में और विदेश में सम्मेलन/सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेनेवाले अधिकारियों द्वारा दी गयी रिपोर्टों को परिचालित करने और ऐसी रिपोर्टों का सारांश बैंक की वेबसाइट पर डालने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है ।

14.72 भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार राज्यों की ओर मुड़ने से क्षेत्रीय स्तर पर समष्टि आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता विशेष महत्त्वपूर्ण हो गई है । इस परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका का मूल्यांकन और पुनः निर्धारण करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। इस कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग द्वारा की गई पहल

14.73 सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग (डीईएसएसीएस) ने 2001-02 के दौरान विभिन्न मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) सर्वेक्षण के परिणाम, जो भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां, ऋण और निवेश की विविधता और विशेषता दर्शाते हैं, और "सिलेक्टेड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स - पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, 1974-75 से 1999-2000 तक (सिलेक्टेड उद्योग)" नामक एक संकलन प्रकाशित किया । वर्ष के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आइबीएस) के प्रसार का प्रारंभ हुआ ।

14.74 भारत के बाह्य ऋण के आंकड़ों का मिलान विश्व बैंक के साथ सफलतापूर्वक पूरा हुआ । बैंकों द्वारा "विदेशी मुद्रा में लेनदेन - इलेक्ट्रानिक सूचना प्रणाली" (एफ ई टी - ई आर एस) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को आर विवरणी में भेजने की सुविधा 1500 से अधिक प्राधिकृत व्यापारियों (ए डी)को उपलब्ध करायी गयी । "विदेशी मुद्रा लेनदेन - इलेक्ट्रानिक सूचना प्रणाली" के नये संग्रहण करने में सहायता करने की दृष्टि से सभी अनिवासी जमाराशियों के लिए नया कंप्यूटरीकृत "व्यापक एकल विवरणी" (सी एस आर) के विकास कार्य आगे बढ़ाया गया । कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट (सीओएमएसईसी), लंदन के सहयोग से कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 15 अप्रैल 2002 से 2 मई 2002 तक भारत, मालदीव, श्रीलंका, थाइलैण्ड और केन्या के लिए 'कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट-डेट रिकार्डिंग एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम' (सीएस-डीआरएमएस 2000+) विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई ।

14.75 इस विभाग ने 31 मार्च 2001 को संदर्भ अवधि मानते हुए लघु उधार खातों (जिनमें हरेक खाते की ऋण सीमा रु.2,00,000 या कम है) का सर्वेक्षण निकाला है जिसका उद्देश्य है इन खातों की रूपरेखा और संरचनात्मक स्वरूप प्राप्त करना। भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें मार्च 2001 से मार्च 2002 तक की पांच तिमाहियों के आवश्यक आंकड़े संग्रहीत किये जायेंगे ।

14.76 वर्ष के दौरान डाटा वेयरहाउस प्रोजेक्ट का दूसरा चरण - केन्द्रीय डाटाबेस प्रबंध प्रणाली (सीडीबीएमएस) - पूर्ण हुआ । इस चरण में व्यापक तकनीकी प्रणाली, डाटा मॉडेलिंग, चयनित विषय क्षेत्रों में प्रणाली डिजाइन का कार्य पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण अर्थात निर्माण और कार्यान्वयन के बारे में कार्रवाई जारी है ।

संसदीय समिति

14.77 लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा निवृत्त) पी.एम. त्रिपाठी की अध्यक्षता में शेयर बाजार और अन्य बातों के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) भारतीय रिज़र्व बैंक सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ बातचीत करने के लिए 10 और 12 जुलाई 2001 को मुंबई आई । इस संयुक्त संसदीय समिति ने बैंक के गवर्नर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही बातों से संबंधित विभिन्न मामलों पर अनौपचारिक बातचीत की ।

14.78 राजभाषा के संबंध में संसदीय प्रारूपण और साक्ष्य समिति के संबंध में उप-समिति बैंक के तिरूवनंतपुरम, लखनऊ और पणजी कार्यालयों में क्रमशः 12 सितंबर, 26 और 31 दिसंबर 2001 को आई । राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की तीसरी उप-समिति ने 23 जनवरी 2002 को तिरुवनंतपुरम का दौरा किया ।

14.79 गवर्नर राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 पर चर्चा करने के लिए अक्तूबर 2001 में वित्त पर स्थायी समिति के सम्मुख उपस्थित हुए ।

14.80 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नै, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, पणजी और तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी तथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के केन्द्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न संसदीय समितियों अर्थात- कृषि पर स्थायी समिति, प्राक्कलन समिति, आवास समिति, शहरी और ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति, खाद्यान्न पर स्थायी समिति, सिविल आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण तथा वित्त पर स्थायी समिति के सम्मुख कई बार उपस्थित रहे ।

14.81 19 जून 2002 को सरदार बूटा सिंह की अध्यक्षता में लोक लेखा समिति का मुम्बई आगमन एवं राजकोषीय असन्तुलन व राजकोषीय देयताओं के प्रबन्धन पर गवर्नर से विचार-विमर्श हुआ ।

14.82 डॉ विजय शंकर शास्त्री, अध्यक्ष, अजा/अजजा के लिए राष्ट्रीय आयोग का मुम्बई आगमन तथा 6 जून 2002 को श्री वेपा कामेसम उप-गवर्नर के साथ उनका विचार-विमर्श हुआ ।

केन्द्रीय बोर्ड और उसकी समिति

14.83 वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुईं जिनमें से चार बैठकें पारंपरिक केन्द्रों अर्थात मुंबई, दिल्ली, चेन्नै और कोलकाता में और तीन गैर-पारंपरिक केन्द्रों अर्थात लखनऊ, पणजी और अहमदाबाद में आयोजित की गईं । वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड समिति की छियालीस साप्ताहिक बैठकें मुंबई में आयोजित की गईं । केन्द्रीय बोर्ड समिति ने हमेशा की तरह निर्गम और बैंकिंग विभागों के बारे में बैंक के साप्ताहिक लेखों के अनुमोदन सहित बैंक के प्रचलित कारोबार संबंधी कार्य किया । केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों में हुई चर्चाओं में मोटे तौर पर बैंक के कार्यों के सामान्य प्रबंध और संचलन से संबंधित ऐसे मामले शामिल थे जिनमें निदेशक विविध क्षेत्रों में प्राप्त व्यापक अनुभव से मुद्रा प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, बैंकिंग पर्यवेक्षण, मुद्रा और ऋण नीति, बैंक की लेखांकन नीति *आदि* के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं ।

14.84 उपर्युक्त बैठकों के अलावा वर्ष के दौरान निरीक्षण और लेखा परीक्षा उप-समिति (आइएएससी) की छः बैठकें, भवन उप-समिति की पांच बैठकें और स्टाफ उप-समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं । केन्द्रीय बोर्ड की इन उप-समितियों का गठन बैंक के कार्यों के संचलन में केन्द्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिए किया गया है । वर्ष के दौरान निरीक्षण और लेखा परीक्षा उप-समिति ने निरीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किए गए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों तथा आवधिक अंतरालों पर इन रिपोर्टों के अनुपालन की समग्र स्थिति की समीक्षा की ताकि कार्यों की उत्पादकता और क्षमता अधिकतम स्तर तक बढ़ाई जा सके । इससे बैंक में प्रणालियों और क्रियाविधियों में सुधार लाने के लिए कई निदेश मिले । भवन उप-समिति ने बैंक को कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण/पुनर्व्यवस्था, बैंक में सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने और उन पर निगरानी रखने के लिए क्लोज सर्किट टीवी/एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की स्थापना, बैंक भवनों में 'वर्क स्टेशन्स' के लिए अपेक्षित विशेषताओं का मानकीकरण, 'इन्फिनेट' के साथ सम्बद्धता के लिए आधारभूत संरचना के रूप में केबल प्रणाली बिछाना आदि सहित विभिन्न बातों पर सलाह दी । स्टाफ उप-समिति ने, जो मुख्यतः विविध विभागों में अतिरिक्त पदों की मंजूरी से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करती है, श्रम शक्ति आयोजना से संबंधित बातों पर भी विचार किया ।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

14.85 डा. वाई.वी. रेड्डी को 1 सितंबर 2001 से दो वर्ष की और अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया ।

14.86 श्री वेपा कामेसम और श्री जी.पी. मुनिअप्पन ने 1 जुलाई 2001 से बैंक के उप गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।

14.87 श्री सी.एम. वासुदेव, सचिव (आर्थिक कार्य), वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को श्री अजित कुमार के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(घ) के अंतर्गत केन्द्रीय बोर्ड में सरकार के नामिति निदेशक के रूप में 3 दिसंबर 2001 से मनोनीत किया गया ।

14.88 डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने जून 2002 को बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड तथा स्थानीय बोर्ड (उत्तर क्षेत्र) से इस्तीफा दे दिया ।

कार्यपालकों की नियुक्ति / सेवा निवृत्ति

14.89 श्री डी.पी. सारडा, कार्यपालक निदेशक 31 जुलाई 2002 को कारोबार की समाप्ति से बैंक की सेवा से सेवा निवृत्त हो गए ।

14.90 श्रीमती के.जे. उदेशी को 1 अगस्त 2001 से रिज़र्व बैंक की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

14.91 श्री एम.आर. उमरजी, कार्यपालक निदेशक (प्रतिनियुक्ति आधार पर), गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ने बैंक में अपनी नियुक्ति पूर्ण करने पर 30 नवम्बर 2001 को कारोबार की समाप्ति से कार्यभार छोड़ दिया ।

14.92 श्री एन. सदाशिवन, पूर्व उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यपालक निदेशक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के रूप में लिया गया है और उन्होंने 10 दिसम्बर 2001 से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

विदेशी हस्तियां

14.93 श्री ओड्युत्से ए. मोतशिदिसी, उप गवर्नर और श्री मोजेस डी. पीलेलो, निदेशक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, बैंक ऑफ बोत्स्वाना 6 सितंबर 2001 को बैंक में पधारे और वे श्री जी.पी. मुनिअप्पन, उप गवर्नर और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिले ।

14.94 श्री आंद्रे लाजोनी की अध्यक्षता में फ्रेंच संसदीय सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भारत के अध्ययन दौरे के एक भाग के रूप में 19 सितम्बर 2001 को बैंक में आया और डॉ. वाई.वी. रेड्डी, उप गवर्नर और बैंक के अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ चर्चा की ।

14.95 डा. विल्यम वाइट, आर्थिक सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक "बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और मुद्रा नीति की भूमिका" पर आयोजित सेमिनार में भाषण देने के लिए 14 दिसंबर 2001 को बैंक में पधारे ।

14.96 श्री लयोंपो येश्ये जिम्बा, भूटान के वित्त मंत्री 22 जनवरी 2002 को बैंक में पधारे और उन्होंने उप गवर्नर श्री जी.पी. मुनिअप्पन से चर्चा की ।

14.97 श्री टी. पॅडो स्चिओपा, सदस्य, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक कार्यपालक बोर्ड 24 और 25 जनवरी 2002 को बैंक में पधारे । वे गवर्नर और उप गवर्नर डा. वाई.वी. रेड्डी और श्री जी.पी. मुनिअप्पन से मिले ।

14.98 श्री ए.एस. जयवर्धने श्रीलंका के केन्द्रीय बैंक के गवर्नर 14 और 15 फरवरी 2002 को बैंक में पधारे । वे गवर्नर और उप गवर्नर श्री वेपा कामेसम और बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिले ।

14.99 श्रीमती स्टीफ़न पेलेज़, सचिव, अन्तराष्ट्रीय कार्य (राजकोष विभाग, अर्थव्यवस्था, वित्त और उद्योग मंत्रालय) पैरिस 2 मई 2002 को भारतीय रिज़र्व बैंक पधारीं व गवर्नर के साथ उनका विचार विमर्श हुआ ।

14.100 श्री अनवर-उल-हक़ अहदी, गवर्नर द अफ़गान बैंक (अफगानिस्तान का केन्द्रीय बैंक) 4 जून 2002 को मुम्बई आए और उनका गवर्नर के साथ विचार-विमर्श हुआ ।

लेखा परीक्षक

14.101 मेसर्स कपूर टंडन एण्ड कम्पनी, कानपुर, मेसर्स एन.सी. राजगोपाल एण्ड कम्पनी, चेन्नै, मेसर्स पी.के. मित्रा एण्ड कम्पनी, कोलकाता, मेसर्स आर.के. खन्ना एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, मेसर्स चाँदभाय एण्ड जसूभाय, मुंबई और मेसर्स पी.बी. विजयराघवन एण्ड कम्पनी, चेन्नै ने रिज़र्व बैंक के खातों का लेखा परीक्षण किया । सभी छः लेखा परीक्षा फर्मों की केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति की गई ।